न्यायालयः सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद। उपस्थितः **अनिल कुमार–X, उच्चतर न्यायिक सेवा**

J.O. Code – UP6522

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 3191/2023

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०–8951 /2023

(CNR No: UPGZ010154832023)

कैलाश कुमार पुत्र श्री जल सिंह निवासी ग्राम खिजरपुर थाना गभाना जिला–अलीगढ, उत्तर प्रदेश।

... .अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार

... .विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या– 661/2022

धारा–406, 409, 504 भा०द०सं०

थाना– मोदीनगर, जिला– गाजियाबाद।

27.10.2023

यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र आवेदक/अभियुक्त कैलाश कुमार की ओर से द०प्र०सं० की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शौकिन्द्र राणा ने दिनांक 06.10.2022 को थाना मोदीनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि वादी शाखा प्रबन्धक शाखा भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन ली कम्पनी (इंडसइंड बैंक) शाखा मोदीनगर गली नं.–8 ब्रहमपुरी मोदीनगर में कार्यरत है। वादी कम्पनी भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कम्पनी है। कम्पनी का मुख्य कार्य गरीब व जरूरतमंद महिलओं को आसान KYC के आधार पर छोटे लोन देकर आसान किश्तों में साप्ताहिक वसूली करना है। यह की कम्पनी की उपरोक्त शाखा पर स्टाफ अजय कुमार शर्मा, प्रवीण कुमार, छोटू सिंह, कैलाश कुमार, अमित शर्मा हैं तथा उपरोक्त कम्पनी में फील्ड स्टाफ के पद पर कार्य कर रहे थे। इनका कार्य कम्पनी के लोकल मेम्बरों को लोन उपलब्ध कराना तथा लोन का साप्ताहिक कलेक्शन करना था। पांचों स्टाफ ने कम्पनी की मोदीनगर शाखा के अलग अलग सेंटरों के लोन मेम्बरों से प्राप्त रूपयों को कम्पनी में जमा नहीं किया। स्वयं अपने पास रख लिया। स्टाफ छोटू सिंह ने 15,95,848 रूपये कैलाश कुमार ने 4,49,105/– रूपये तथा अमित शर्मा ने 2,68,368/–रूपये जो कम्पनी की पूंजी थी, कम्पनी में जमा नहीं किया। वादी को उपरोक्त विषय की जानकारी सम्बन्धित स्टाफ के सेन्टरों पर विजिट करने पर हुई। कम्पनी द्वारा घटना की जांच की गयी जिसमें तीनों स्टाफ द्वारा पूंजी में हेरा फेरी की गयी। तीनों स्टाफ से सख्ती से पूछताछ करने पर स्टाफ ने उपरोक्त रूपया अपने पास होना स्वीकारा हैं। कैलाश कुमार ने 2,41,000/–रूपये दिनांक 11.05.2022 को अमित शर्मा ने 1,00,000/– रूपये दिनांक 11.05.2022 को कम्पनी में जमा किये तथा बाकी रूपये जमा करने का बोलकर दिनांक 11.05.2002 को कम्पनी मोदीनगर शाखा से चले गये। छोटू सिंह ने कोई रूपया जमा नहीं किया तथा बिना किसी सूचना के दिनांक 13.07.2022 को कम्पनी शाखा से चला गया। कैलाश कुमार पर बकाया रकम 2,08,105/–रूपये तथा दिनांक 28.07.2022 को अमित शर्मा ने 1,30,000/–रूपये जमा किये। अमित शर्मा पर बकाया 38,368 रूपये कम्पनी के बाकी रहे। तीनों स्टाफ से कई बार रकम जमा करने को कहा गया परन्तु तीनो टाल मटोल करते रहे तथा रूपया जमा करने से इंकार कर दिया और गाली गलौंच करते हुए कहा कि जो कम्पनी या तुमसे जो हो कर लो वे रूपया जमा नहीं करेगें। पांचों व्यक्तियों ने कम्पनी की पूंजी को साजिशन हेरा फेरी करके अमानत में ख्यानत करने का अपराध किया है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि आवेदक/अभियुक्त वादी मुकदमा के यहां नौकरी करता था। आवेदक/अभियुक्त का वादी मुकदमा ने अप्रेल माह से वेतन नहीं दिया और कई माह का वेतन हो गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.10.27 18:09:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी से कई बार अपने वेतन की मांग की किन्तु वादी ने आवेदक/अभियुक्त का वेतन नहीं दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई धोखाधडी नहीं की है और न ही लेन देन में कोई हेरा फेरी की है। सह अभियुक्त छोटू सिंह की अग्रिम जमानत दिनांक 01.12.2022 को स्वीकार हो चुकी है। यह भी तर्क दिया गया है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है। यदि पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है तो इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उपरोक्त आधार पर अग्रिम जमानत की याचना की गयी है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त तथा सह अभियुक्त वादी की कम्पनी में कार्यरत थे और लोन का पैसा कलेक्शन के बाद बैंक/कम्पनी में जमा नहीं किया। आवेदक /अभियुक्त पर 4,49,105/–रूपये गबन का आरोप है। अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं है।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क विस्तृत रूपसे सुने गये तथा केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक /अभियुक्त पर आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण वादी की कम्पनी में कार्यरत थे और लोन का पैसा कलेक्शन के बाद बैंक/कम्पनी में जमा नहीं किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अंकन 4,49,105/–रूपये हेरा–फेरी करने का आरोप है। सह अभियुक्त छोटू सिंह की अग्रिम जमानत दिनांक 01.12.2022 को स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त की भूमिका सह अभियुक्त छोटू सिंह के समान हैं। आवेदक/अभियुक्त आज दिनांक तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर है।

7. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त कैलाश कुमार का उपरोक्त अपराध में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप अन्दर 10 दिन सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करने पर उसे अग्रिम जमानत पर निम्न शर्तानुसार रिहा किया जाए–

(i) आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग प्रदान करेगा तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़गा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

(v) उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पर सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कभी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए द०प्र०सं० में दिये गये प्रपीडात्मक कार्यवाहियों का उपयोग कर सकती है तथा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात अभियुक्त को तभी रिहा किया जायेगा जब उनके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः नये सिरे से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दि० 27.10.2023